



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231339
CG-DL-E-24112021-231339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4444]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 4444]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

का.आ. 4811(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व वर्धमान जिले में NH19 के कि.मी. 521.251 से कि.मी. 603.94 (पानागढ़ - पालसित सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुरबा वर्धमान को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में NH19 के कि.मी. 521.251 से कि.मी.603.94 (पानागढ़ - पालसित सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		जिले का नाम: पूर्व बर्धमान			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गलसी -					
गांव का नाम: बुदबुद (CT)					
1	254	निजी	साली	0.0120000(एकर)	0.0048563
2	255	निजी	साली	0.0380000(एकर)	0.0153784
3	260	निजी	नदी	0.0670000(एकर)	0.0271145
4	263	निजी	वास्तु	0.0010000(एकर)	0.0004047
5	263/3260	निजी	डंगा	0.0500000(एकर)	0.0202347
6	263/872	निजी	वास्तु	0.0390000(एकर)	0.0157831
कुल				0.2070	0.0838

[फा. सं. NHAI/PIU-DURGAPUR/NH-19/3a/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

S.O. 4811(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning etc.), maintenance, management and operation of NH19 in the stretch of land from Km. 521.251 to Km. 603.94 (Panagarh - Palsit section) in the district of PURBA BARDHAMAN in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Magistrate, Purba Bardhaman in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an

opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 521.120 to Km. 603.94 of NH19 (Panagarh - Palsit section) in the district of PURBA BARDHAMAN in the State of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL		District: PURBA BARDHAMAN			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Galsi - I					
Village: Budbud (CT)					
1	254	Private	Sali	0.0120000(Acre)	0.0048563
2	255	Private	Sali	0.0380000(Acre)	0.0153784
3	260	Private	Nadi	0.0670000(Acre)	0.0271145
4	263	Private	Bastu	0.0010000(Acre)	0.0004047
5	263/3260	Private	Danga	0.0500000(Acre)	0.0202347
6	263/872	Private	Bastu	0.0390000(Acre)	0.0157831
Total				0.2070	0.0838

[F. No. NHAI/PIU-DURGAPUR/NH-19/3a/3A]

RAJESH GUPTA, Director